निवेशों के संवर्धन और संरक्षण

हेतु

यूक्रेन की सरकार

तथा

भारत गणराज्य की सरकार

के बीच

करार

यूक्रेन की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार (जिन्हें इसके बाद "संविदाकारी पक्ष" कहा गया है):

एक राज्य के निवेशकों द्वारा दूसरे राज्य के भू-भाग में अधिक निवेशों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल स्थितियां सृजित करने की इच्छा रखते हुए ,

यह स्वीकारते हुए कि ऐसे निवेश का अंतर्राष्ट्रीय करार के तहत प्रोत्साहन एवं पारस्परिक संरक्षण व्यक्तिगत व्यापारिक पहल के प्रेरण में सहायक सिद्ध होगा और इससे दोनों राज्यों में समृद्धि बढ़ेगी ,

निम्न रूप में सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद 1
परिभाषाएं

इस करार के प्रयोजनार्थ ,

(क) "कंपनी" का अर्थ है :

(i) **यूक्रेन के संबंध में :** वे विधिक निकाय जो यूक्रेन के कानूनों के अन्तर्गत स्थापित किए गए हों और उसके कानूनों द्वारा विधिक व्यक्तियों के रूप में मान्यता प्राप्त हों और जिनका यूक्रेन के भू-भाग में अपना स्थान हो।

(ii) **भारत के संबध में :** भारत के किसी भी भाग में प्रवृत्त कानून के अन्तर्गत निगमित, गठित या स्थापित निगम, फर्में और एसोसिएशनें ,

(ख) "निवेश" का अर्थ है प्रत्येक प्रकार की परिसंपत्ति जो उस संविदाकारी पक्ष, जिसके भू-भाग में निवेश किया गया है, के राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार स्थापित अथवा अधिग्रहीत की गई हो, जिसमें ऐसे निवेश के स्वरूप में परिवर्तन किया जाना भी शामिल है तथा जिसमें विशेष रूप से, यद्यपि एकमात्र नहीं, निम्नलिखित शामिल होंगे :

(i) चल और अचल संपत्ति एवं अन्य अधिकार जैसे बंधक-पत्र, ग्रहणाधिकार अथवा गिरवी रखना ,

(ii) किसी कंपनी में शेयर तथा उसके स्टॉक और डिबेंचर व कंपनी में अन्य इसी प्रकार की भागीदारी ,

(iii) वित्तीय मूल्य वाली संविदा के अन्तर्गत धन अथवा किसी कार्य-निष्पादन के अधिकार ,

(iv) संबंधित संविदाकारी पक्ष के संगत कानूनों के अनुसार बौद्धिक संपत्ति अधिकार, सद्भाव, तकनीकी प्रक्रियाएं और जानकारी ,

(v) कानून द्वारा अथवा संविदा के तहत दी गई व्यापारिक रिआयतें जिनमें तेल और अन्य खनिजों की खोज करने और उन्हें निकालने के लिए रिआयतें शामिल हैं ।

(ग) " निवेशक" का अर्थ है संविदाकारी पक्ष का कोई राष्ट्रिक अथवा कंपनी ,

(घ) " राष्ट्रिक" का अर्थ है ;

(i) यूक्रेन के संबंध में : ऐसे देशजात व्यक्ति जो यूक्रेन के कानूनों के अनुसार यूक्रेन की राष्ट्रीयता रखते हों।

(ii) **भारत के संबंध में :** भारत में प्रवृत्त कानून के अनुसार भारतीय राष्ट्रिकों के रूप में अपना दर्जा प्राप्त करने वाले व्यक्ति ;

(ड.) "आय" का अर्थ है निवेश द्वारा अर्जित मौद्रिक राशियां जैसे लाभ, ब्याज,पूंजी लाभ, लाभांश ,रायल्टियां तथा शुल्क ,

(च) " भू-भाग" का अर्थ है :

(i) **यूक्रेन के संबंध में :** यूक्रेन की प्रभुसत्ता के अन्तर्गत आने वाला भू-भाग और वह समुद्र तथा समुद्री क्षेत्र, जिस पर यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार प्रभुसत्तात्मक अधिकार अथवा क्षेत्राधिकार रखता हो।

(ii) **भारत के संबंध में :** भारत गणराज्य का भू-भाग जिसमें इसका सीमांतर्गत जलक्षेत्र और इसके ऊपर का वायुक्षेत्र तथा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय तट सहित अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल हैं, जिन पर भारत गणराज्य का अपने प्रवृत्त कानूनों, समुद्र संबंधी संयुक्त राष्ट्र के 1982 के अभिसमय तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार प्रभुसत्ता, प्रभुसत्तात्मक अधिकार या विशिष्ट क्षेत्राधिकार हो ।

अनुच्छेद 2
करार का कार्यक्षेत्र

यह करार एक संविदाकारी पक्ष के निवेशकों द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में किए गए सभी निवेशों पर लागू होगा,जिन्हें इसके कानूनों एवं विनियमों के अनुसार स्वीकृत किया गया हो, चाहे वे इस करार के प्रवृत्त होने से पूर्व किए गए हों या बाद में किए गए हों ।

अनुच्छेद 3
निवेश का संवर्धन और संरक्षण

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपने भू-भाग में निवेश किए जाने हेतु दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों को प्रोत्साहित करेगा और उनके लिए अनुकूल स्थितियां सृजित करेगा, तथा ऐसे निवेशों को अपने कानूनों और नीति के अनुसार स्वीकृति देगा।

2. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के निवेशकों के निवेश एवं आय को दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में सदैव उचित एवं साम्यापूर्ण व्यवहार प्रदान किया जाएगा ।

अनुच्छेद 4
राष्ट्रीय व्यवहार एवं सर्वाधिक अनुग्रह-प्राप्त राष्ट्र का व्यवहार

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों के निवेशों को ऐसा व्यवहार प्रदान करेगा जो इसके अपने निवेशकों के निवेशों अथवा किसी तीसरे राज्य के निवेशकों के निवेशों के साथ किए जाने वाले व्यवहार से कम अनुकूल नहीं होगा ।

2. इसके अलावा, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों को, जिसमें उनके निवेशों की आय के संबंध में व्यवहार शामिल है, ऐसा व्यवहार प्रदान करेगा जो किसी तीसरे राज्य के निवेशकों को प्रदान किए जाने वाले व्यवहार से कम अनुकूल नहीं होगा ।

3. ऊपर पैरा 1 तथा 2 के उपबंधों की इस प्रकार व्याख्या नहीं की जाएगी कि एक संविदाकारी पक्ष द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों को निम्नलिखित के परिणामस्वरूप उत्पन्न किसी व्यवहार,प्राथमिकता अथवा विशेषाधिकार का कोई लाभ प्रदान करना पड़े ,

(क) किसी विद्यमान अथवा भावी सीमाशुल्क संघ अथवा इसी प्रकार का अन्तर्राष्ट्रीय करार जिसका यह एक पक्षकार है अथवा बन सकता हो, अथवा

(ख) पूर्णतः अथवा मुख्यतः कराधान से संबंधित कोई मामला ।

अनुच्छेद 5
स्वामित्वहरण

1. दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष के निवेशकों के निवेशों का दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में राष्ट्रीयकरण, स्वामित्वहरण नहीं किया जाएगा अथवा उन्हें ऐसे उपायों के अधीन नहीं लाया जाएगा जिनका प्रभाव राष्ट्रीयकरण अथवा स्वामित्वहरण के समकक्ष हो, (जिन्हें इसके बाद "स्वामित्वहरण" कहा गया है) सिवाय तब जब यह कानून के अनुसार भेदभाव रहित आधार पर जनहित में हो, और उचित एवं साम्यापूर्ण क्षतिपूर्ति दिए जाने के प्रति हो । ऐसी क्षतिपूर्ति स्वामित्वहरण से तुरंत पूर्व अथवा आसन्न स्वामित्वहरण के सार्वजनिक होने से पूर्व,जो भी पहले हो, स्वामित्वहरित निवेश के सही मूल्य की द्योतक होगी, इसमें भुगतान की तारीख तक उचित एवं साम्यापूर्ण दर पर ब्याज शामिल होगा, यह बिना अनुचित विलम्ब के अदा की जाएगी,प्रभावी रूप से वसूली योग्य होगी,और मुक्त रूप से अन्तरणीय होगी ।

2. प्रभावित निवेशक को इस पैराग्राफ में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, स्वामित्वहरण करने वाले संविदाकारी पक्ष के कानून के अन्तर्गत अपने अथवा इसके मामले की तथा अपने अथवा इसके निवेश के मूल्यांकन की उस पक्ष के किसी न्यायिक अथवा अन्य स्वतंत्र प्राधिकारी से समीक्षा करवाने का अधिकार होगा। स्वामित्वहरण करने वाला संविदाकारी पक्ष यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि ऐसी समीक्षा तत्काल की जाए।

3. जब एक संविदाकारी पक्ष किसी ऐसी कंपनी की परिसंपत्तियों का स्वामित्वहरण करता है जो कि इसके अपने भू-भाग के किसी भी भाग में प्रवृत्त कानून के अन्तर्गत निगमित अथवा गठित की गई हो और जिसमें दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों के शेयर हैं, तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि इस अनुच्छेद के पैरा (1) के उपबंध, दूसरे संविदाकारी पक्ष के ऐसे निवेशकों, जो उन शेयरों के मालिक हैं, के निवेश के संबंध में उचित एवं साम्यापूर्ण क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक सीमा तक लागू किए जाएंगे।

अनुच्छेद 6
हानियों की क्षतिपूर्ति

एक संविदाकारी पक्ष के निवेशकों को जिसके दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में किए गए निवेशों को युद्ध अथवा अन्य सशस्त्र संघर्ष, राष्ट्रीय आपातस्थिति अथवा गृह उपद्रवों के कारण हानियां हुई हों, उसे दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा प्रत्यर्पण, मुआवजे, क्षतिपूर्ति अथवा अन्य निपटान के संबंध में ऐसा व्यवहार प्रदान किया जाएगा जो किसी ऐसे व्यवहार से कम अनुकूल नहीं होगा जो कि दूसरा संविदाकारी पक्ष अपने निवेशकों को अथवा किसी तीसरे राज्य के निवेशकों को प्रदान करता है । परिणामी भुगतान मुक्त रूप से अंतरणीय होंगे ।

अनुच्छेद 7
निवेश और आय का अंतरण

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशक द्वारा अपने भू-भाग में किए गए निवेश से संबंधित सभी निधियों का बिना अनुचित विलम्ब के मुक्त अंतरण अनुमेय करेगा। ऐसी निधियों में निम्नलिखित शामिल हैं :--

(क) निवेशों को बनाए रखने तथा उनकी वृद्धि के लिए प्रयोग में लाई गई पूंजी और अतिरिक्त पूंजी की राशि;

(ख) निवल प्रचालनात्मक लाभ जिनमें उनकी शेयरधारिता के अनुपात में लाभांश और ब्याज शामिल हैं;

(ग) निवेश से संबंधित किसी ऋण की वापसी-अदायगियां, जिनमें ब्याज भी शामिल है ;

(घ) निवेश से संबंधित रायल्टियों और सेवा शुल्कों का भुगतान ;

(ड.) उनके शेयरों की बिक्री से हुई आय ;

(च) बिक्री अथवा आंशिक बिक्री अथवा परिसमापन की स्थिति में निवेशकों द्वारा प्राप्त आय ;

(छ) एक संविदाकारी पक्ष के नागरिकों/राष्ट्रिकों की आय जो दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में निवेश के संबंध में कार्य करते हों ।

2. इस अनुच्छेद के पैरा 1 में उल्लिखित कुछ भी इस करार के अनुच्छेद 6 के अन्तर्गत किसी क्षतिपूर्ति के अंतरण को प्रभावित नहीं करेगा।

3. जब तक पक्षों के बीच अन्यथा सहमति न हो जाए, इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अन्तर्गत मुद्रा अन्तरण मूल निवेश की मुद्रा में अथवा किसी अन्य मुक्त प्रयोज्य मुद्रा में अनुज्ञेय होंगे। अन्तरण की तारीख को प्रचलित विनिमय की बाजार दर पर ऐसे अन्तरण किए जाएंगे।

अनुच्छेद 8
प्रतिस्थापन

यदि किसी संविदाकारी पक्ष अथवा इसके नामित अभिकरण ने दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में इसके किसी निवेशक द्वारा किए गए निवेश के संबंध में गैर-वाणिज्यिक जोखिमों के प्रति किसी क्षतिपूर्ति की गारंटी दी हो और इस करार के अन्तर्गत उनके दावों के संबध में ऐसे निवेशकों को भुगतान किया हो तो दूसरा संविदाकारी पक्ष सहमत होगा कि पहला संविदाकारी पक्ष अथवा उसका नामित अभिकरण प्रतिस्थापन के आधार पर उन निवेशकों के अधिकारों का प्रयोग करने और दावों को बनाए रखने का हकदार है । प्रतिस्थापित अधिकार अथवा दावे ऐसे निवेशकों के मूल अधिकारों अथवा दावों से अधिक नहीं होंगे ।

अनुच्छेद 9

निवेशक और संविदाकारी पक्ष के बीच विवादों का निपटान

1. एक संविदाकारी पक्ष के निवेशक और दूसरे संविदाकारी पक्ष के बीच इस करार के अन्तर्गत पूर्वोक्त के निवेश के संबंध में किसी विवाद का निपटान विवाद के पक्षकारों के बीच बातचीत के माध्यम से यथासंभव सौहार्दपूर्ण ढंग से किया जाएगा ।

2. ऐसा कोई विवाद, जिसे छः महीनों की अवधि के अन्दर सौहार्दपूर्ण ढंग से नहीं निपटाया गया हो, यदि दोनों पक्ष सहमत हों, निम्नलिखित को प्रस्तुत किया जा सकता है :

(क) संविदाकारी पक्ष जिसने निवेश को स्वीकार किया हो, के कानून के अनुसार समाधान के लिए उसके सक्षम न्यायिक अथवा प्रशासनिक निकायों को ; अथवा
(ख) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कानून संबंधी संयुक्त राष्ट्र आयोग के समाधान नियमों के तहत अन्तर्राष्ट्रीय समाधान को।

3. यदि दोनों पक्ष इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 के अन्तर्गत दी गई विवाद निपटान प्रक्रिया पर सहमत होने में असफल रहते हैं अथवा जहां विवाद को समाधान के लिए भेज दिया जाता है लेकिन समाधान कार्यवाहियां, निपटान करार पर हस्ताक्षर करने के बजाए अन्यथा समाप्त कर दी जाती हैं, तो विवाद को माध्यस्थम के लिए भेजा जा सकता है। माध्यस्थम प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :

(क) यदि निवेशक का संविदाकारी पक्ष तथा दूसरा संविदाकारी पक्ष दोनों ही राज्यों तथा दूसरे राज्यों के राष्ट्रिकों के बीच निवेश विवाद निपटान अभिसमय, 1965 के पक्षकार हैं और निवेशक विवाद को लिखित रूप में निवेश विवाद के निपटान संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र को प्रस्तुत करने पर सहमत हो जाता है तो ऐसे विवाद को उक्त केन्द्र को प्रस्तुत किया जाएगा ; अथवा
(ख) यदि विवाद के दोनों पक्षकार सहमत हों तो विवाद को निवेश विवाद निपटान संबंधी अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र के समाधान, माध्यस्थम और तथ्यान्वेषण कार्यवाहियों संबंधी प्रशासन के लिए अतिरिक्त सुविधा के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाएगा ; अथवा
(ग) निम्नलिखित आशोधनों के अधीन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून संबंधी संयुक्त राष्ट्र आयोग, 1976 के माध्यस्थम नियमों के अनुसार विवाद को दोनों में से किसी एक पक्ष द्वारा तदर्थ माध्यस्थम अधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा :
(i) नियमों के अनुच्छेद 7 के तहत नियुक्ति प्राधिकारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा अगला वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, जो दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष का राष्ट्रिक नहीं है । तीसरा मध्यस्थ दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष का राष्ट्रिक नहीं होगा ।
(ii) दोनों पक्ष दो महीने के अंदर अपने संबंधित मध्यस्थ नियुक्त करेंगे ।
(iii) माध्यस्थम पंचाट इस करार के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
(iv) माध्यस्थम अधिकरण दोनों में से किसी भी पक्ष के अनुरोध पर अपने निर्णय का आधार तथा कारण बताएगा।

अनुच्छेद 10
संविदाकारी पक्षों के बीच विवादों का निपटान

1. संविदाकारी पक्षों के बीच इस करार की व्याख्या अथवा प्रयोग से संबंधित विवादों को यथासंभव बातचीत के माध्यम से निपटाया जाना चाहिए।

2. यदि संविदाकारी पक्षों के बीच विवाद का निपटारा विवाद उत्पन्न होने के समय से छः महीने के अन्दर इस प्रकार नहीं किया जा सकता तो दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष के अनुरोध पर माध्यस्थम अधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा ।

3. ऐसा माध्यस्थम अधिकरण प्रत्येक पृथक मामले के लिए निम्नानुसार गठित किया जाएगा। माध्यस्थम के लिए अनुरोध प्राप्ति के समय से दो महीने के अन्दर प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अधिकरण के एक सदस्य को नियुक्त करेगा। ये दोनों सदस्य तब किसी तीसरे राज्य के राष्ट्रिक का चयन करेंगे, जिसे दोनों संविदाकारी पक्षों के अनुमोदन से अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। अध्यक्ष की नियुक्ति अन्य दोनों सदस्यों की नियुक्ति की तिथि से दो माह के भीतर की जाएगी।

4. यदि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट अवधियों के अन्दर, आवश्यक नियुक्तियां नहीं की जाती हैं, तो दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष, किसी अन्य करार के न होते हुए, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष को आवश्यक नियुक्तियां करने के लिए आमंत्रित कर सकता है । यदि अध्यक्ष दोनों में से किसी संविदाकारी पक्ष का राष्ट्रिक हो अथवा उसे उक्त कार्य करने से अन्यथा रोका जाता है तो उपाध्यक्ष को आवश्यक नियुक्तियां करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यदि उपाध्यक्ष दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष का राष्ट्रिक हो अथवा उसे भी उक्त कार्य करने से रोका जाता है तो अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में अगली वरिष्ठता वाले सदस्य,जो दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष का राष्ट्रिक नहीं है,को आवश्यक नियुक्तियां करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

5. माध्यस्थम अधिकरण बहुमत द्वारा अपना निर्णय करेगा। ऐसे निर्णय दोनों संविदाकारी पक्षों पर बाध्यकारी होंगे । प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अधिकरण के अपने सदस्य तथा माध्यस्थम कार्यवाहियों में उसके प्रतिनिधित्व का खर्च वहन करेगा, अध्यक्ष का खर्च और शेष खर्च संविदाकारी पक्षों द्वारा बराबर मात्रा में वहन किए जाएंगे। तथापि, अधिकरण अपने निर्णय में यह निर्देश दे सकता है कि खर्च का बड़ा भाग दोनों संविदाकारी पक्षों में से किसी एक द्वारा वहन किया जाएगा और यह पंचाट दोनों संविदाकारी पक्षों पर बाध्यकारी होगा। अधिकरण अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगा ।

अनुच्छेद 11
कार्मिकों का प्रवेश और निवास

एक संविदाकारी पक्ष गैर-नागरिकों के प्रवेश और निवास के संबंध में लागू अपने कानूनों और विनियमों के अधीन दूसरे संविदाकारी पक्ष के देशजात व्यक्तियों और दूसरे संविदाकारी पक्ष की कंपनियों द्वारा नियोजित कार्मिकों को निवेशों से संबंधित कार्य करने के प्रयोजन से अपने भू-भाग में प्रवेश करने और रहने की अनुमति प्रदान करेगा ।

अनुच्छेद 12
प्रयोज्य कानून

1. इस करार के अधीन अन्यथा उपबंधित के अलावा समस्त निवेश उस संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में प्रवृत्त कानूनों द्वारा शासित होंगे जहां ऐसे निवेश किए जाते हैं।

2. इस करार के पैरा (1) के होने पर भी, यह करार मेजबान संविदाकारी पक्ष को अपने आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण हेतु कार्रवाई करने अथवा अत्यधिक आपातिक परिस्थितियों में भेदभाव रहित आधार पर सामान्यतया और उपयुक्त रूप से प्रयुक्त अपने कानूनों के अनुसार कार्रवाई करने से प्रतिबाधित नहीं करेगा।

अनुच्छेद 13
अन्य नियमों का प्रयोग

यदि वर्तमान करार के अतिरिक्त दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष के कानून के उपबंध अथवा वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत मौजूद अथवा इसके बाद संविदाकारी पक्षों के बीच स्थापित बाध्यताओं में ऐसे नियम, चाहे वे सामान्य हों अथवा विशिष्ट, अन्तर्विष्ट हैं जो दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों द्वारा निवेश के लिए वर्तमान करार द्वारा प्रदत्त व्यवहार से अधिक अनुकूल व्यवहार प्रदान करते हैं तो ऐसे नियम उस सीमा तक, जहां तक वे अधिक अनुकूल हैं, वर्तमान करार पर अभिभावी होंगे।

अनुच्छेद-14
करार का प्रवृत्त होना

यह करार अनुसमर्थन के अधीन होगा और अनुसमर्थन संबंधी दस्तावेजों के आदान-प्रदान की तारीख से प्रवृत्त होगा।

अनुच्छेद 15
करार की समयावधि और समाप्ति

यह करार दस वर्ष की समयावधि के लिए प्रवृत्त रहेगा और उसके बाद,, दोनों में से किसी एक संविदाकारी पक्ष द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष को करार समाप्ति के अपने इरादे की लिखित सूचना दिए जाने तक स्वतः बढ़ा दिया गया समझा जाएगा। यह करार ऐसी लिखित सूचना की प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष बाद समाप्त हो जाएगा।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) के अनुसरण में इस करार के समाप्त होने पर भी, यह करार, इसकी समाप्ति की तारीख से पहले किए गए अथवा अर्जित किए गए निवेशों के संबंध में इसकी समाप्ति की तारीख से आगे पन्द्रह वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

जिसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षकर्ताओं ने अपनी-अपनी सरकारों की ओर से विधिवत् प्राधिकृत होकर, इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं ।

में को सम्पन्न इस करार की यूक्रेनी, अंग्रेजी और हिन्दी, तीनों भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियां तैयार की गई हैं, जिनमें तीनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं ।

व्याख्या में भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।

यूक्रेन की सरकार की ओर से

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से